इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक :34 / प्र0अ0(त0स0–2) / जोन–2 / ग्रु0हा0 / 2014–15 दिनांक 9 / 04 / 2015

अनुमति–पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्र्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर **समूह आवास (अर्फोडेबुल) मानचित्र** स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री प्रदीप कुमार कनौडिया एवं सुनील कनौडिया, डायरेक्टर, इलाहाबाद मीलिंग कम्पनी प्रा0लि0 एवं पार्टनर विवान्ता डेवलपर द्वारा बंगला नं0–1 लूकरगंज इलाहाबाद के जोन संख्या **(2)** के अन्र्तगत **समूह आवास (अर्फोडेबुल हाउस)** भवन के निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के स्वीकृति / निर्गमन आदेश दिनांक 04.4.2015 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की गयी है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग / अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट / इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 32 वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक / कम्पनी का होगा।
5. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
6. सोलर वाटर हीटिंग संयत्र की स्थापना आवश्यक होगी, जिसका संयोजन किचेन, बाथरूम मे अनिवार्य रूप से किया जाय।
7. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् ही आन्तरिक विकास व्यय के सापेक्ष जमा बैंक गारन्टी अवमुक्त की जायेगी।
8. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 एवं रूल्स 2011 का अक्षरशः पालन करना होगा।
9. **मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र दिनांक 23.01.2015, मुख्य अभियन्ता–विद्युत इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र दिनांक 28.01.2015, नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र दिनांक 09.02.2015** में अंकित प्रतिबन्धो का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। **(छायाप्रति संलग्न)**

–2/–

Received Sanctioned Map & Permit letter with
9/4/15
8004350197